न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 261/2016/223 आर टी ए

रणधीर पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. जोतराम पि0 कुशलाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रामलाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. रामेश्वर पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. रायसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. जयपाल पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. रामदेई पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. कैलाश पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. समेस्ता पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. फुली देवी पत्नि रणजीत जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. फुलाराम पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. माली पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. कृष्णा पुत्री रणजीत जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
13. धापी पि0 परमेश्वरी पुत्री कुशलाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
14. रामचन्द्र पि. परमेश्वरी पुत्री कुशलाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
15. धर्मपाल पि. परमेश्वरी पुत्री कुशलाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
16. कान्ता पि. परमेश्वरी पुत्री कुशलाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
17. रक्षा पि. परमेश्वरी पुत्री कुशलाराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
18. भीम पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19. मुलीदेवी बेवा चन्दगीराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——असल रेस्पो0

20. पूनमचन्द पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी सवाईछानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 177/2013 पूनमचन्द बनाम जोतराम आदि

उपस्थित :–

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–27.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 20 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए का पेश किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 17 ने जवाबदावा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत बिना कोई जांच किये पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा बखूबी दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा बुडडाखेड़ा प्रस्तुत की थी तथा नामान्तरण प्रस्तुत किया। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य मे कुशलाराम, चावली बेवा धन्नाराम का दत्तक पुत्र दर्ज है। विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर तनकी सं. 1 का निर्णय गैरकानूनी ढंग से अपीलांट के विरूद्ध किया है। घोषणात्मक वाद मे राजस्व रिकार्ड सर्वोत्तम साक्ष्य है तथा जमाबंदी व नामान्तरण तथा बैयनामा जिसके द्वारा किशनाराम ने दत्तक के बतौर दर्ज हुई भूमि का आगे बैयनामा करवाया गया। इन समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर यह साबित था कि कुशलाराम, चावली बेवा धन्नाराम का खोलायत पुत्र है। हिन्दू दत्तक एवं भरण

पोषणा अधिनियम 1956 की धारा 12 के अनुसार हिन्दू विधि के अन्तर्गत दत्तक पुत्र का प्राकृतिक पिता की सम्पति मे समस्त अधिकार समाप्त होकर दत्तक पिता की सम्पति मे समस्त अधिकार निहित हो जाते है तथा दत्तक अपत्य की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजनो के लिये समझा जाएगा और ऐसी तारीख सेयह समझा जायेगा कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुम्ब के साथ समस्त बन्धन टूट गए है और उनका स्थान उन बन्धनो ने ले लिया है जो दत्तक कुटुम्ब मे दत्तक के कारण सृजित हुए हो। कुशलाराम के द्वारा चावली बेवा धन्नाराम के खोलायत पुत्र जाने के बाद पेमाराम पुत्र आसाराम की सम्पति मे कोई हक अधिकार नही रहे तथा पेमाराम की भूमि मे कुशलाराम को खातेदारी अधिकार उसी रोज समाप्त हो गये जब वह चावली का खोलायत पुत्र हो गया।

4. तनकी सं. 2 ता 4 भी अपीलांट ने बखूबी साबित की थी। जब कुशलाराम चावली का राजस्व रिकार्ड के अनुसार खोलायत पुत्र होना साबित था जो नकल जमाबंदी सरसाना उप तहसील बालसमन्द जिला हिसार वर्ष 2005–06 के खाता सं. 450 मे कुशलाराम दत्तक पुत्र श्रीमति चावली विधवा धन्ना निवासी बुढाखेड़ा व जमाबंदी सन् 2005–06 जिसमे कुशला को चावली का दत्तक पुत्र दर्ज किया गया है नामान्तरण सं. 515 जिसमे नामान्तरण दर्ज किया गया है तथा कुशला को चावली का दत्तक पुत्र के रूप मे इन्तकाल दर्ज किया गया है तथा उक्त नामान्तरण मे कुर्सीनामा पटवारी हल्का द्वारा दर्शाया गया है। जिसमे चावली के कुशला और कुशला के अमरसिंह, रणजीत, जोतराम, रामलाल, परमेश्वरी आदि सन्ताने दिखाई गई है। इसी प्रकार नामान्तरण सं. 516 मे कुशला को चावली का दत्तक पुत्र दर्शाया गया है तथा कुर्सीनामा मे भी चावली का दत्तक पुत्र कुशला को दर्शाया गया है। इसके अलावा उक्त भूमि के कुशलाराम के फौत होने के बाद उसके पुत्रों द्वारा अन्य को बैय की गई है उक्त बैयनामा मे भी कुशलाराम की दत्तक माता से आई हुई भूमि बैय की गई है। बैयनामा दिनांक 23.12.10 व 21.12.10 को सरसाना मे स्थित अर्थात दत्तक माता से आई भूमि को बैय किया है। विचारण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय ने मद सं. 6 को प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 1 ता 17 द्वारा साबित नही कर पाने के कारण भी प्रतिवादी/रेस्पो0 के पक्ष मे अनुचित निर्णय दिया है जबकि वास्तविक स्वामी के विरूद्ध कब्जा से स्वामित्व नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय किसी भी तनकीयात पर कोई विश्लेषण एवं विवेचन नही किया गया है तथा तनकीवार निर्णय नही दिया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 1977 पेज 306 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पिथ एण्ड सब्सटैन्स गोदनामा की कहानी को लेकर है। ऐसा दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिवानी न्यायालय का बनता है। रेस्पो गत 60 वर्ष से अधिक अर्से से रिकार्ड माल मे पीढियों से बने हुये है तथा उनका कब्जा उनके दादा के वक्त से चला आ रहा है। रेस्पो0 काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व के खातेदा टिनेंट है और तत्कालीन मौरूसी हक प्राप्त करता है। उक्त काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक सम्वत 2011 को काबिज काश्तकार वैयक्ति को खातेदारी अधिकार की मान्यता प्रदान की गई थी तथा रेस्पो0 सम्वत 2011 से पूर्व के मौरूसीदार थे इसलिये कुशला को उस वक्त काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वतः ही कानूनन बाई इम्पलीकेशन ऑफ लॉ खातदेारी अधिकार पुष्ट हुये है जिन्हे अपीलांट किसी भी सुरत मे चुनौती देने का मजाज नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गई जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री मे उल्लेखित किया गया है कि '' प्रस्तुत प्रकरण मे वादीगण ने पिथ एण्ड सब्सटैन्स गोदनामा के बारे मे बताया है, इसलिये दावे का सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिवानी न्यायालय का बनता है तथा वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया जिससे वादीगण का वाद साबित हो। पेमाराम की मृत्यु के वक्त उसके दो पुत्र कुशलाराम व चन्दगीराम प्रथम श्रेणी के वारिस मौजूद थे और उन दोनो ने ही उसकी विरासत हासिल की है तथा जिसमे कुशला, चन्दगी पि0 पेमा बहिस्सा बराबर निस्फ के अंकन दर्ज है एवं उक्त अंकन 60–65 वर्षो से निरन्तर चले आ रहे है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व के है। अतः वादीगण के केवल मात्र यह कहने से कि दावाधीन खातेदारी केवल वादीगण व प्रतिवादी सं. 18, 19 की है, इसे स्वीकार नही किया जा सकता क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 ता 17 जो कुशला के वारिसान है, कुल वाद भूमि के 1/2 भाग मे अपने हको के अनुसार खातेदार काश्तकार है और मौका पर काश्त करते आ रहे है एवं नियमानुसार राजस्व वाद करके रसीदात प्राप्त करते आ रहे है। राजस्व रिकार्ड मे पेमाराम की मृत्यु के बाद से ही लगातार रिकार्ड माल जमाबंदीयात, पासबुक, गिरदावरी आदि मे नियमित रूप से अंकित है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व से ही कुशला के खिलाफ लाने का अधिकारी चन्दगीराम का समाप्त हो चुका है तथा वादीगण के द्वारा कुशलाराम को खोलायत के संबंध मे कोई रिकार्ड एवं दस्तावेजात एवं जुबानी साक्ष्य पेश नही कर पाये है। इसलिये वादीगण का दावा साबित नही होने तथा कानून व समयावधि दोनो से बाधित होने के कारण खारिज योग्य होने के कारण खारिज किया जाता है।'' अपीलांट का यह तर्क की वादग्रस्त भूमि मे पेमाराम के 1/6 हिस्सा मे वादीगण व प्रतिवादी सं. 18 व 19 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है और कुशलाराम के वारिसान का उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है, स्वीकार योग्य नही है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पूर्व मे पेमाराम की थी जो पेमाराम की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिसान कुशलाराम व चन्दगीराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुई तथा कुशलाराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि कुशलाराम के वारिसान रेस्पो0 के नाम दर्ज हुई जो लगातार कुशलाराम व कुशलाराम की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गई है जिसमे किसी प्रकार विधिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.12.2015 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर..ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 232/2015/223 आर टी ए

मालाराम पुत्र गंगराम उर्फ गंगला जाति नाई निवासी रतनादेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. नरेशकुमार पुत्र मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी दनियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. प्रभुदयाल पुत्र मनीराम जाति ब्राहम्ण निवासी दनियासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. बजरंग लाल पुत्र गंगराम उर्फ गंगला जाति नाई निवासी रतनादेसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रातवसर।

––– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0सं0 31/11 नरेशकुमार आदि बनाम बजरंग लाल आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता अपीलांट, श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 2 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2015 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 19.02.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official